बिहार विधान सभा वादवृत्त।

वृहस्पतिवार, तिथि २० सितम्बर, १९५१।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के राज्यपाल भवन में वृहस्पतिवार, तिथि २० सितम्बर १९५१ को अपराह्न १ १/२ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

पुलिस विभाग का पुनर्संगठन।

A*७०। श्री जयनारायण 'विनीत'—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि बिहार के पुलिस विभाग की ओर से एक उच्च पदस्थ अफसर, पुलिस विभाग के पुनर्संगठन तथा सुधार के विचार से अध्ययनार्थ विदेश भेजे गये थे ;

(ख) क्या यह बात सही है कि एक वर्ष से भी अधिक हो गया कि उक्त अफसर ने पुनर्संगठन एवं सुधार संबंधी एक योजना सरकार के समक्ष रखी है जो कार्यान्वित नहीं की जा रही है ;

(ग) यदि खंड (क) और (ख) के उत्तर 'हाँ' हैं तो सरकार की ओर से कब तक उस योजना पर विचार खतम होगा और कब से वह अमल में आने लग जायगी ;

(घ) उस योजना का मुख्य स्वरूप क्या है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—(क) और (ख) यूनाइटेड किंगडम से लौटने के बाद इस अफसर ने पुलिस रिऑर्गेनिजेशन ऐंड ऐडमिनिस्ट्रेशन के विषय पर एक रिपोर्ट दी। यह रिपोर्ट उन्होंने १९५० के अन्त में दी और एक योजना भी तैयार करके सरकार के पास दी है। इस योजना के चंद अंगों के ऊपर जैसे करप्ट ऑफिसर को या ऐसे अफसर को जिनकी उपयोगिता कम हो गयी है, कम्पलसरिली रिटायर कर दिया जाय और सरकार ने इसका फैसला भी कर लिया है। इस फैसले के अनुसार कारंवाई

A—Postponed from the 31st August 1951.

DISMISSAL OF KUMAR SINGH, SUB-INSPECTOR OF POLICE.

*209. Shri KISHORI LAL KUNDU : Will the Hon'ble the Chief Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that Kumar Singh, Sub-Inspector of Police, was dismissed and sentenced to eighteen months' rigorous imprisonment in July, 1936 on Government appeal no. 6 of 1936 under section 418, Cr. P. C. of the Patna High Court against order in acquittal passed by the Sessions Judge of Purnea in the case Government Advocate *vrs.* Kumar Singh, Sub-Inspector, under section 211, I.P.C. ;

(*b*) whether it is a fact that the accused Kumar Singh personally represented his case to the then Premier on 1st August, 1937;

(*c*) if the answer to clause (*b*) be in the affirmative, the orders passed on the petition ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—(ए) उत्तर 'हां' है।

(बी) और (सी) विचार करने के वाद गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस केस को रिकन्सिडर करने की आवश्यकता नहीं है।

पुलिस अफसरों की कर्तव्यपरायणता।

*२१३। श्री देवकीनन्दन प्रसाद—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के डिप्टी कमिश्नर साहब की धर्मपत्नी ने ता० २३ अगस्त, १९५१ को सरकारी जीप के ड्राइवर की स्त्री को अघमुआ कर पीटा है ;

(ख) क्या यह बात सही है कि वह स्त्री थाना में इस बात की फरियाद लेकर गई, पर थाने वालों ने इस पर कुछ नहीं सुना ;

(ग) अगर खंड (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार औफिसरों को कर्तव्यपरायण होने के लिये कौन सी उपाय अपने करना चाहती है, तथा उस गरीब अबला को उचित न्याय के लिए कौन सी व्यवस्था करने का विचार करती है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—(क) इसका उत्तर 'ना' है।

(ख) पलामू के डिप्टी कमिश्नर की स्त्री को इससे कोई सम्बन्ध नहीं था। गवर्नमेंट जीप ड्राइवर की स्त्री ने डालटेनगंज पुलिस-स्टेशन में ता० २० अगस्त, १९५१ को इनफार्मेशन लॉज किया था, ता० २३ अगस्त, १९५१ को नहीं। उन्होंने पुलिस के सामने जो इनफार्मेशन लॉज किया था उसमें यह बयान किया था कि वे जब कपड़ा फींच रही थी तब लोदियां उरांव ने उनको पीटा था। उस इन्फार्मेशन में कोई आरोप डिप्टी कमिश्नर की स्त्री पर नहीं किया गया था। चूंकि ड्राइवर की स्त्री के बदन पर

कोई चोट का चिन्ह नहीं था इसलिए पुलिस ने उसको नन-कॉगनिजेबुल केस करार दिया और कम्प्लेनेन्ट को कचहरी में जाने के लिए कहा।

(ग) सवाल नहीं उठता है।

बिहार दहेज विरोधी ऐक्ट।

*२१८। श्री जगत नारायण लाल—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विहार दहेज विरोधी ऐक्ट (दि बिहार डाओरी रेस्ट्रेंट ऐक्ट, १९५०) लागू किया जा चुका, यदि हां, तो अब तक उसके अनुसार कहां-कहां क्या कार्रवाई की गई और उसके क्या परिणाम हुए?

The Hon'ble Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: The reply to the first part of the question is in the affirmative and the report received is that there is only one case instituted under the Act and that is in Bhagalpur. This case is under investigation.

PLANNING COMMISSION REPORT.

***219. Shri JAGANNATH SINGH**: Will the Hon'ble the Chief Minister be pleased to state—

(*a*) whether Government have considered the Planning Commission's tentative report especially those relating to this State and forwarded their comments to the Union Government;

(*b*) the broad outline of the important schemes relating to Agriculture, Irrigation and Industry which are going to be implemented during the first year;

(*c*) the total estimated cost of these schemes and the ways and means of financing them?

The Hon'ble Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: (*a*) The report is under consideration.

(*b*) and (*c*) The schemes relating to Agriculture, Irrigation and Industry with the estimated cost in the first two years and five years, are given in the statement placed on the table. Grouped together, under convenient heads and sub-heads, these schemes are likely to cost as follows:—

I—AGRICULTURE.

Administration and Extension	23.11
Education and Training	3.29
Research	11.97